महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001

P19/IV/DRSSA/210545

02.01.2025

To,

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Payment of Dearness Relief to the retired members of Madhya Pradesh Judicial Service at par with Central Government Pensioners and family pensioners –reg

Ref: 1) Madhya Pradesh Government, law and legislative Affairs Department, order No. F4070/2024/21-B(one) dated 18.10.2024
2) Madhya Pradesh Government, law and legislative Affairs Department, order No F2250/2024/21-B(one)_ Bhopal dated 11.06.2024 or No. F 2251/2024/21-B(one) Bhopal dated 11.06.2024
3)SSA No/Pension/3317 received from Office of the Accountant General(A&E)-II, Madhya Pradesh dated 13.11.2024

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the office of the Accountant General (A&E)-II, Madhya Pradesh regarding above mentioned subject. The same is being placed on the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, **under pension – download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners"**. A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Encl: As stated above.

Yours faithfully

Senior Accounts Officer

Copy to:-

1. The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

2. The Office of the Accountant General (A&E)-II
Madhya Pradesh, Jhansi Road, Gwalior-474002
-For Information.

Senior Accounts Officer

ई-मेल/Email: agaekerala@cag.gov.in फेक्स/Fax: 0471-2330242 दूरभाष/Telephone: 0471-2776100
वेबसाइट/Website : http://www.agker.cag.gov.in

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) – द्वितीय, मध्यप्रदेश

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh

क्रमांक /पेंशन/ 3317 P19 210545 2/12/24 P19/IV/ORISSA/ 101 3/12/24 दिनांकः- 23-11-24

Reply

प्रति,

IV ORISSA

1.	Principal Accountant General (A&E) Telangana, Saifabad, Hyderabad	500004
2.	Principal Accountant General (A&E) Andhra Pradesh, Vijayawada	520002
3.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
4.	Accountant General (A&E) Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
5.	Accountant General (A&E) Bihar, Birchand Patel Marg, R-Block, Patna	800001
6.	Accountant General (A&E) Chhatisgarh, Baloda Bazar Road, Opp. Vidhan Sabha Road, Raipur	492005
7.	Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Fazenda Building, Behind old Secretariat, Panji, Goa	403001
8.	Pr. Accountant General (A&E), Gujarat, Ahmedabad, "Audit Bhawan", Vth Floor, Navarangpura, Ahmedabad	380009
9.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
10.	Pr. Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
11.	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
12.	Pr. Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5 Bengaluru	560001
13.	Pr. Accountant General (A&E), Kerala, Post Box No.5607, M.G Road Thiruvananthapuram	695001
14.	Pr. Accountant General (A&E), Jharkhand, Post office Doranda, Ranchi	834002
15.	Pr. Accountant General (A&E), Maharashtra,2nd floor, Partishtha Bhawan, New Marine Lines, Marashi Karve Road, Mumbai	400020
16.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
17.	Pr. Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
18.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shillong	793001
19.	Accountant General (A&E), Mizoram, New Capital Parisar, Khatla, Aizawl	796001
20.	Pr. Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
21.	Accountant General (A&E), Odissa, Bhubaneswar	751001
22.	Accountant General (A&E), Punjab & UT of Chandigarh, Sector 17 E, Chandigarh	160017
23.	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
24.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
25.	Accountant General (A&E), Tamilnadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
26.	Accountant General (A&E), Tripura, PO-Kunjavan, Agartala	799006
27.	Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Audit Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow (U.P)	226001
28.	Accountant General (A&E)-II, 20 Sarojini Naidu Marg, Uttar Pradesh, Prayagraj (U.P)	211002

Address : Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002
Phone : 0751-2370963
Fax : 0751-2432194

पता : लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर-474002
दूरभाष : 0751-2370963
फैक्स : 0751-2432194

30.	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, Kolkata	700001
31.	Director od Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry	605001
32.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110001
33.	Pay & Accounts Officer No.5, Pension Govt. of National Capital Territory of Delhi Treasury Building, Tis Hazari, New Delhi	110054
34.	Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi)	110021

Sub:- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के समान महगांई राहत का भुगतान से किये जाने के संबंध में।

Ref:- 1.मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का फा.कमांक 4070/2024/21–ब(एक) भोपाल, दिनांक 18.10.2024।
2.मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का फा.कमांक 2250/2024/21–ब(एक) भोपाल, दिनांक 11.06.2024 एवं फा.कमांक 2251/2024/21–ब(एक) भोपाल, दिनांक 11.06.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक 01 द्वारा प्राप्त मध्यप्रदेश राज्य पत्र मे दिनांक 03.02.2023 के प्रकाशित नियम–मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों का पुनरीक्षण) नियम,2022, तत्पश्चात दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के सेवारत पेंशनभोगियों/परिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध मे नियम–10 एवं नियम–11 मे किए गए संशोधन दिनांक 06.10.2023 की प्रतिलिपि एवं संदर्भित पत्र कमांक 02 मे महंगाई राहत संबंधी आदेश की छायाप्रति (जो कि पूर्व में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.07.2024 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है) इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। उक्त आदेशों की प्रतियां अपने अधीनस्थ कोषालय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजनें की व्यवस्था करें।

तदनुसार उपरोक्त आदेशों की प्रतिलिपि समुचित कार्यवाही हेतु विशेष मुद्रा प्राधिकार के अंतर्गत सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

प्रभारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

SP-539,239,965

93106

speed post

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 4070/2024/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 12/10/2024

प्रति,

प्रभारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन,
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

567818
16

विषय :- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के समान महंगाई राहत की स्वीकृति।

संदर्भ :- आपके पत्र क्रमांक/पेंशन/2963 दिनांक 30.09.2024 के संबंध में।

PA
DA-99

5-11-24

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) पश्चिम बंगाल के पत्र के अनुक्रम में मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के 01.01.2016 के पूर्व सदस्यों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण एवं अद्यतन महंगाई राहत के विषय से संबंधित आदेश भिजवाये जाने हेतु लिखा गया है।

अतः इस संबंध में विभाग द्वारा जारी किए गए मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 03 फरवरी, 2023 के प्रकाशित नियम–मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022, तत्पश्चात् दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के सेवारत पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में नियम–10 एवं नियम–11 में किए गए संशोधन दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 तथा चाहे गये महंगाई राहत संबंधी आदेश क्रमांक 2251/2024/21–ब(एक), दिनांक 11.06.2024 और आदेश क्रमांक 2250/2024/21–ब(एक), दिनांक 11.06.2024 की छायाप्रतियां समुचित कार्यवाही के लिए संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

16.10.2024

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

24 OCT 2024
महालेखाकार
ग्वालियर

इस वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2023—माघ 14, शक 1944

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम	(3) संसद् के अधिनियम
(ग)	(1) प्राकृत नियम	(2) अंतिम नियम	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2023

क्र. क. 482—इक्कीस—ब(एक)—2023.— यत:, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.(सी) 643/2015, ऑल इण्डिया जजेस एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य दिनांक 27 जुलाई 2022 में दिए गए निर्देशों के पालन में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् —

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 है।

(2) ये नियम जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. **प्रयुक्ति का विस्तार.–** ये नियम मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा तथा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के समस्त सदस्यों को लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं.–** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "मूल वेतन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश फण्डामेंटल रूल्स के नियम 9 (21) (ए) (एक) में यथा परिभाषित वेतन;

(ख) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, एक पृथक् यूनिट के रूप में स्वीकृत सेवा की पद संख्या (स्ट्रेंथ) या सेवा का भाग;

(ग) "विद्यमान उपलब्धियों" से अभिप्रेत है, (एक) विद्यमान मूल वेतन (दो) मूल वेतन पर उपयुक्त महंगाई वेतन (तीन) मूल वेतन+महंगाई वेतन पर दिया जाने वाला उपयुक्त महंगाई भत्ता तथा (चार) 1 जनवरी, 2016 से सेवा के सदस्यों को संदत्त हो रही 30 प्रतिशत अंतरिम राहत की राशि;

(घ) "वर्तमान पद" से अभिप्रेत है, अनुसूची के भाग–एक में दी गई तालिका स्तम्भ क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट पद;

(ङ) "विद्यमान वेतनमान" सेवाओं के किसी सदस्य के संबंध में विद्यमान वेतनमान से अभिप्रेत है 1 जनवरी, 2016 को किसी सदस्य द्वारा धारित पद पर लागू विद्यमान वेतनमान, चाहे वह मूल या स्थानापन्न रूप में हो, और जो अनुसूची के भाग–एक में दी गई तालिका के स्तम्भ क्रमांक (3) में विनिर्दिष्ट हो;

स्पष्टीकरण.– सेवा के किसी सदस्य के मामले में, जो 1 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर था या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर हो या भारत के बाहर बाह्य सेवा में हो, या जो उस तारीख को उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप में रहते हुए एक या एक से अधिक निचले पदों पर रहा हो, "विद्यमान वेतनमान" में सम्मिलित है, पद पर लागू वेतनमान जो उसके यथास्थिति, छुट्टी या बाह्य सेवा पर रहते हुए, किन्तु किसी उच्चतर पद पर अपने स्थानापन्न रूप में रहते हुए, धारित किया हो।

(च) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(छ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ज) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय;

(झ) किसी पद तथा वेतनमान के संबंध में "पुनरीक्षित वेतनमान" से अभिप्रेत है, अनुसूची के भाग–एक की तालिका के स्तम्भ क्रमांक (4) व (5) एवं भाग–दो की तालिका के दर्शित लेवल में यथा विर्निदिष्ट पद तथा वेतनमान;

(ञ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा एवं मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा।

4. **पुनरीक्षित वेतनमान.**– इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से वर्तमान वाले, प्रत्येक पद का वेतनमान वह होगा, जो अनुसूची के भाग–एक एवं भाग–दो में यथा विनिर्दिष्ट किया गया है।

5. **पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का आहरण.**– कोई न्यायिक अधिकारी, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उस पद को, जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित करेगा:

परन्तु कोई न्यायिक अधिकारी विद्यमान वेतनमान में अपना वेतन उस तारीख तक आहरित करते रहने का चयन कर सकेगा, जब तक कि वह आगामी वेतनवृद्धि या विद्यमान वेतनमान में पश्चात्वर्ती वेतनवृद्धियां अर्जित कर लेता या जब तक कि वह अपना पद रिक्त नहीं कर देता अथवा उस वेतनमान में अपना वेतन आहरित करना बंद नहीं कर देता।

स्पष्टीकरण 1:– इस नियम के परन्तुक के अधीन विद्यमान वेतनमान प्रतिधारित करने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतनमान के संबंध में ही अनुज्ञेय होगा;

स्पष्टीकरण 2:– उपर्युक्त विकल्प सेवाओं के किसी ऐसे सदस्य को अनुज्ञेय नहीं होगा, जो 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात्, चाहे शासकीय सेवा में प्रथम बार या किसी अन्य पद से स्थानांतरण या पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया था और उसे केवल वही वेतन अनुज्ञात होगा, जो पुनरीक्षित वेतनमान में अनुज्ञेय है;

स्पष्टीकरण 3:– जहां सेवाओं का कोई सदस्य नियमित आधार पर स्थानापन्न हैसियत में उसके द्वारा धारण किए गए किसी पद के संबंध, में विद्यमान वेतन प्रतिधारित करने के विकल्प का, इस नियम के परन्तुक के अधीन प्रयोग करता है, वहां मूल नियम 22 या 31 के अधीन उस वेतनमान में वेतन के नियमितीकरण के प्रयोजन के लिये उसका मूल वेतन वह मूल वेतन होगा, जो वह उस दशा में आहरित करता, जबकि वह उस स्थायी पद के संबंध में, जिस पर वह धारणाधिकार रखता है, विद्यमान वेतनमान प्रतिधारित करता या धारणाधिकार धारण करता, यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं कर दिया जाता।

6. **विकल्प का प्रयोग.–** (1) सेवाओं के किसी सदस्य द्वारा नियम 5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग इन नियमों से संलग्न "प्ररूप" में तथा लिखित में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर या जहां विद्यमान वेतनमान को, उस तारीख के पश्चात् किये गये किसी आदेश द्वारा पुनरीक्षित किया गया हो, वहां ऐसे आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर किया जाएगा:
परन्तु ,–

(क) सेवाओं के किसी ऐसे सदस्य के मामले में, जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को या ऐसे आदेश की तारीख को यथास्थिति, छुट्टी पर हो या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर हो अथवा भारत के बाहर विदेश सेवा में हो, उक्त विकल्प का प्रयोग राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन मास के भीतर किया जा सकेगा;

(ख) जहां सेवाओं का कोई सदस्य 01 जनवरी, 2016 को निलंबन के अधीन हो, वहां विकल्प का प्रयोग उसके कर्तव्य पर वापसी की तारीख से तीन मास के भीतर किया जा सकेगा, यदि वह तारीख उस तारीख के बाद की हो, जो इस उप–नियम में विहित की गई है;

(ग) यह और कि जहां सेवाओं का कोई सदस्य 01 जनवरी, 2016 को कर्तव्य पर था और तत्पश्चात् निलंबित कर दिया गया था और इन नियमों के

प्रकाशन की तारीख को भी निलंबित हो, वहां विकल्प का प्रयोग खण्ड (ख) में यथा विहित रीति में किया जा सकेगा;

(घ) सेवाओं के वे सदस्य भी, जो 1 जनवरी, 2016 के पश्चात् और इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हों, इस नियम के अधीन विकल्प का प्रयोग भी कर सकेंगे।

(2) विकल्प न्यायिक सेवाओं के सदस्य द्वारा कार्यालय प्रमुख को (जो उसका वेतन तथा भत्ते आहरित करता है) जिनके अधीन वह उस समय सेवारत हो, उसकी प्रतियां उच्च न्यायालय को देते हुए और यदि वह स्वयं ही कार्यालय प्रमुख है तो उच्च न्यायालय को ससूचित किया जाएगा;

(3) विकल्प के प्राप्त होने पर, उसके प्राप्त होने की तारीख को विकल्प पर ही यथास्थिति, कार्यालय प्रमुख अथवा उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, विकल्प को संबधित सदस्य की सेवा पुस्तिका में लगाया जाएगा;

(4) एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा और यदि उप–नियम (1) में उल्लिखित समय के भीतर और विहित रीति में उसका प्रयोग नहीं किया गया है तो न्यायिक सेवाओं के ऐसे सदस्य के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने 1 जनवरी, 2016 में पुनरीक्षित वेतनमान का चयन कर लिया है;

टिप्पणी 1:– सेवाओं के सदस्य, जिसकी सेवाएं 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थीं और जो विहित समय–सीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग मृत्यु हो जाने, स्वीकृत पदों की समाप्ति पर सेवोन्मुक्त कर दिए जाने, पदत्याग, पदच्युति, अनुशासनिक आधारों पर सेवोन्मुक्त होने के कारण नहीं कर सके थे, इन नियमों का लाभ उठाने के हकदार हैं।

टिप्पणी 2:– सेवाओं के सदस्य, जिनकी मृत्यु 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात्, किन्तु इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पूर्व हो गई हो, अथवा जिसकी इन नियमों के प्रकाशन के पश्चात् किन्तु विकल्प का प्रयोग करने के लिए विहित कालावधि के पूर्व विकल्प का प्रयोग किए बिना ही मृत्यु हो जाती है, के संबंध में समझा जाएगा कि उसने उस वेतनमान के लिए विकल्प दिया है, जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा उनके लिए लाभप्रद समझा जाए और तदनुसार उसका वेतन नियत किया जाएगा।

7. **पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारंभिक वेतन का नियत किया जाना** – (1) सेवाओं के उस सदस्य का, जो 1 जनवरी, 2016 को तथा से पुनरीक्षित वेतनमान द्वारा शासित होने के लिए नियम 6 के अधीन चयन करता है या जिसके बारे में यह समझा जाता है कि उसने पुनरीक्षित वेतनमान का चयन कर लिया है, किसी भी दशा में, जब तक कि राज्य सरकार, विशेष आदेश द्वारा, अन्यथा निदेश न दे, प्रारंभिक वेतन का नियतन, उस स्थाई पद पर, जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या यदि उसे निलंबित नहीं कर दिया जाता तो वह

धारणाधिकार रखता, उसके मूल वेतन के संबंध में पृथक् से किया जाएगा और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद पर, उसके वेतन के संबंध में ऐसा मूल वेतन, अनुसूची के भाग–एक एवं भाग–2 में दी गई, वर्तमान वेतनमान से संबंधित सुसंगत तालिका में, दर्शाए अनुसार तत्स्थानी अवस्था के समकक्ष, जिसमें वह सदस्य वेतन निर्धारण के समय विद्यमान वेतनमान में वेतन पा रहा था, जो उस तालिका में दर्शाई गई है, दर्शाई राशि के बराबर होगा।

(2) पुनरीक्षित वेतनमान से वेतन नियत करने में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा :–

(क) उस दशा में, जब कोई सेवाओं का सदस्य 1 जनवरी, 2016 के पूर्व उच्च पद पर पदोन्नत किया गया हो, पुनरीक्षित वेतनमान में अपने कनिष्ठ से कम वेतन आहरित करता है, ऐसी रकम तक आगे बढ़ाया जाएगा, जो कनिष्ठ की पदोन्नति की तारीख से उच्चतर पद में अपने कनिष्ठ के लिए नियत वेतन के बराबर हो;

(ख) उस दशा में, जब कोई अधिकारी 1 जनवरी, 2016 के पश्चात् उच्च पद पर पदोन्नत किया गया हो, तथा उसका मूल वेतन उच्च वेतनमान की समान अवस्था में निम्न वेतनमान की समान अवस्था से कम हो तो उच्च वेतनमान में उसे आगामी अवस्था में नियत किया जाएगा ताकि उसके मूल वेतन को सुरक्षित किया जा सके;

स्पष्टीकरण 1:– यदि इस प्रकार संगणित किए गए कुल जोड़ में एक रूपए का भाग सम्मिलित हो तो उसे निकटतम रूपए तक पूर्णांकित किया जाएगा अर्थात् 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जाएगा, जबकि 50 पैसे या उससे अधिक को अगले उच्चतर रूपए तक पूर्णांकित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2:– जहां विद्यमान वेतनमान में वेतनवृद्धि 1 जनवरी, 2016 को देय हो, वहां उसे मूल वेतन के भाग के रूप में माना जाएगा।

8. **पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तारीख.–** (1) सेवाओं के सदस्य को, पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि उस तारीख को प्रदत्त की जाएगी, जिसको वह यदि वर्तमान वेतनमान में बना रहता तो वेतनवृद्धि आहरित करता।

(2) यदि सेवाओं का कोई सदस्य पुनरीक्षित वेतनमान में, उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन अपनी अगली वेतनवृद्धि आहरित करता है और उसके द्वारा वह अपने वरिष्ठ से, जिसकी अगली वेतनवृद्धि किसी पश्चात्वर्ती तारीख को देय होती हो, उच्चतर वेतन के लिए पात्र हो जाता है, तो ऐसे वरिष्ठ का वेतन, उस तारीख से, जिसको कि कनिष्ठ, उच्चतर वेतन के लिए हकदार हो जाता है, कनिष्ठ के वेतन के बराबर पुनर्नियत किया जाएगा, उस दशा में, जब सेवा के सदस्य का वेतन उपर्युक्तानुसार बढ़ता है, तब अगली वेतनवृद्धि आवश्यक अर्हकारी सेवा अर्थात् एक वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् दी जाएगी।

9. **महंगाई भत्ता.**– सेवाओं के सदस्यों को तारीख 1 जुलाई, 2016 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय–समय पर लागू दरों पर महंगाई भत्ता अनुज्ञात किया जाएगा।

10. **वेतन के बकाया का भुगतान.**– (1) बकाया की गणना 01.01.2016 से की जाएगी और पूर्व में अंतरिम राहत के किए गए भुगतान को समायोजित करने के पश्चात् शेष रकम निम्नलिखित रीति से चरणों में दी जाएगी:

(एक) 25 प्रतिशत नकद, 3 माह की कालावधि के भीतर;

(दो) दूसरा 25 प्रतिशत नकद, इसके पश्चात् की 3 माह की कालावधि के भीतर, तथा

(तीन) शेष 50 प्रतिशत जून, 2023 की समाप्ति पर अथवा उसके पूर्व संदाय होगा।

स्पष्टीकरण:– इस नियम के प्रयोजनों हेतु सेवा के किसी सदस्य के संबंध में "वेतन के बकाया" से अभिप्रेत है निम्नलिखित के बीच का अंतर,–

(एक) वेतन तथा महंगाई भत्ते का योग जो उसे इन नियमों के अधीन वेतन और भत्तों में पुनरीक्षण के कारण देय हो;

(दो) विद्यमान परिलब्धियां जिसका कि वह पात्र होता यदि उसके वेतन तथा भत्ते इस प्रकार से पुनरीक्षित न किए जाते।

(2) जहां सेवाओं का कोई सदस्य 1 जनवरी, 2016 के पश्चात् विभिन्न स्थापनाओं पर पदस्थ रहा हो वहां, निम्नलिखित अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी:–

(एक) ऐसी समस्त स्थापनाएं उस स्थापना को, जहां ऐसा सदस्य वेतन के बकाया के भुगतान के समय पदस्थ हो, उसके वेतन जैसे वेतन की बकाया राशि, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, अंतरिम राहत, सकल वेतन, कटौत्रे तथा कोषालय व्हाऊचर नम्बर, बिल नम्बर, नगदीकरण की तारीख आदि से संबंधित ऐसे समस्त सुसंगत विवरण, जो उसकी वर्तमान परिलब्धियों की गणना के लिए आवश्यक हों, भेजेगा;

(दो) भुगतान के ऐसे विवरण प्राप्त होने पर सदस्य को बकाया राशि का भुगतान उस स्थापना द्वारा किया जाएगा जहां वह वेतन के बकाया के भुगतान के समय पदस्थ हो;

(तीन) उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के मामले में, वह स्थापना जो वेतन के बकाया की राशि का भुगतान कर रहा हो, उच्च न्यायालय को समस्त विवरण जिसमें बकाया की राशि का गणना पत्रक भी शामिल है, सदस्य की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि करने हेतु भेजेगा;

(चार) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों के मामलों में, सदस्य की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि उस स्थापना द्वारा की जाएगी जिसके द्वारा वेतन की बकाया राशि का भुगतान किया गया हो;

(पांच) सरकार के अन्य विभागों मे कार्यरत सदस्यो के मामले मे, बकाया राशि का भुगतान तथा सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि उस विभाग द्वारा, जहां ऐसा सदस्य पदस्थ है, किया जाएगा;

(छह) ऐसे सदस्यों के मामले में, जो प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा में कार्यरत हों अथवा कार्यरत रहे हों, बकाया राशि का भुगतान ऐसी अंतिम स्थापना द्वारा किया जाएगा जहां ऐसा सदस्य प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व पदस्थ रहा हो अथवा जहां वह प्रतिनियुक्ति पर लौटने के पश्चात् पदस्थ हो तथा सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि भी ऐसी स्थापना द्वारा की जाएगी। बाह्य सेवा से वापस आने की दशा में, इस उप–नियम के खण्ड (तीन) तथा खण्ड (चार) में अधिकथित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तत्पश्चात् किसी भी दशा में, बाह्य सेवा की अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान, जिस अवधि में ऐसा सदस्य बाह्य सेवा में रहा हो, उस निकाय द्वारा किया जाएगा, जहां ऐसा अधिकारी सेवारत है या प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहा था तथा सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि भी प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए उसी निकाय द्वारा की जाएगी।

11. (1) **सेवानिवृत्ति लाभ.**–सेवाओं के सदस्य जो 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् मृत्यु या सेवानिवृत्ति के चलते सेवा में नहीं रहे हैं, 1 जनवरी, 2016 से, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए सन्नियमों (नार्म्स) पर सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करेंगे, अर्थात् :–

(एक) सेवा के सदस्यों की अधिवार्षिकीय आयु साठ वर्ष होगी;

(दो) पूर्ण पेंशन अर्जित करने के लिए अर्हकारी सेवा 20 वर्ष होगी, तथा उन सेवा के सदस्यों के संबंध में, जिन्होंने मृत्यु या सेवानिवृत्ति के समय 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं की है, उनके द्वारा की गई वास्तविक अर्हकारी सेवा के आधार पर आनुपातिक पेंशन संगणित की जाएगी:

परंतु पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभों के लिए अर्हतादायी सेवा की कुल अवधि की गणना के लिए दस वर्ष या बार में विधि व्यवसाय की वास्तविक अवधि, इनमें जो भी कम हो, उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग में बार से सीधे नियुक्त किए गए किसी सदस्य की सेवा में इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए जोड़ी जाएगी, कि बार में विधि व्यवसाय का महत्व केवल तभी दिया जाएगा, यदि सीधे नियुक्त हुए व्यक्ति ने सेवानिवृत्ति के पूर्ण न्यूनतम दस वर्ष के लिए वस्तुतः कार्य किया हो।

(तीन) अंतिम आहरित वेतन, पेंशन के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के रूप में लिया जाएगा तथा पूर्ण पेंशन ऐसी परिलब्धियों की 50 प्रतिशत होगी तथा पारिवारिक पेंशनरों के मामले में पूर्ण पेंशन ऐसी परिलब्धियों की 30 प्रतिशत होगी;

(चार) सेवाओं के सदस्यों की पेंशन का अधिकतम संराशीकरण उनकी पेंशन का 50 प्रतिशत तक ही होगा तथा पेंशन का प्रत्यावर्तन 15 वर्ष के पश्चात् होगा;

(पांच) संराशीकरण पर देय एकमुश्त राशि की संगणना अनुसूची के भाग–3 में दी गई तालिका के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर की जाएगी। इस नियम के प्रयोजन के लिए ह्रासित जीवनकाल की दशा में आयु ऐसी आयु मानी जाएगी, जो उस वास्तविक आयु से कम न हो, जैसा कि प्रमाणित करने वाला चिकित्सीय प्राधिकारी निदेशित करे। मूल्यों की तालिका में प्रशासनिक मंजूरी की तारीख से संराशीकरण की तारीख तक और वह तारीख जिस पर संराशीकरण होना हो, के बीच उपान्तरण होने की दशा में पूर्ण भुगतान उपांतरित तालिका के अनुसार किया जाएगा और आवेदक के लिए यह खुला होगा कि यदि उपांतरित

तालिका पूर्व में प्रवृत्त तालिका की तुलना में कम अनुकूल है तो वह उस तारीख से जिसको वह उपांतरण की सूचना प्राप्त करता है, 14 दिन के भीतर, भेजी गई लिखित सूचना द्वारा अपना आवेदन वापस ले:

परन्तु सेवाओं के ऐसे सदस्यों के मामले में, जिनके मामले में पेंशन का संराशीकरण किसी आवेदक को तारीख 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात्, परन्तु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व अंतिम हुआ हो, पुनरीक्षण से पूर्व प्रभावशील संराशीकरण की तालिका के अनुसार संराशीकरण के मूल्य पुनरीक्षण से पूर्व वेतन/पेंशन के लिए प्रयोग किया जाएगा। ऐसे पेंशनर्स को विकल्प प्राप्त होगा कि वे अतिरिक्त रूप से संराशीकरण योग्य पेंशन, जो इन नियमों के प्रभावशील होने के पश्चात्वर्ती तारीख से वेतन/पेंशन के पुनरीक्षण के कारण संराशीकरण योग्य हुई हो, का संराशीकरण करवा सकते हैं। ऐसे चयन का उपयोग करने पर पुनरीक्षित
संराशीकरण की तालिका का उपयोग ऐसे अतिरिक्त पेंशन की राशि, जो पुनरीक्षण के कारण संराशीकरण योग्य हो गई हो, के संराशीकरण के लिए किया जाएगा। सेवाओं के ऐसे सदस्यों के मामले में, जो इन नियमों के प्रभावशील होने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हों, पुनरीक्षित संराशीकरण की तालिका लागू होगी;

(छह) अधिकतम पेंशन की अधिकतम सीमा नहीं होगी;

(सात) उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन, पेंशन का संराशीकरण तथा परिवार पेंशन, मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज (डेथ–कम–रिटायरमेंट बेनिफिट्स) रूल्स, 1964 के अनुसार होगी;

(आठ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी की परिवार पेंशन का निर्धारण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अनुसार होगा;

(नौ) वृद्ध/पेंशनरों को उपलब्ध पेंशन की राशि निम्नानुसार बढ़ा दी जाएगी:–

पेंशनर की आयु (1)	अतिरिक्त पेंशन की राशि (2)
70 वर्ष से अधिक परन्तु 75 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 10 प्रतिशत
75 वर्ष से अधिक परन्तु 80 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
90 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत

पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशनर की जन्मतिथि तथा आयु सदैव पेंशन भुगतान आदेश पर दर्शाई जाए ताकि देय होने पर

यथाशीघ्र अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने में पेंशन संवितरण प्राधिकारी सक्षम हो सके। अतिरिक्त पेंशन राशि सुस्पष्ट रूप से पेंशन भुगतान आदेश में दर्शाई जाएगी।

(दस) सभी तरह की उपदान की राशि की अधिकतम सीमा दस लाख रूपए होगी;

(ग्यारह) परिवार पेंशनरों को उपलब्ध पेंशन की राशि निम्नानुसर बढा दी जाएगी:–

परिवार पेंशनर की आयु (1)	अतरिक्त पेंशन की राशि (2)
70 वर्ष से अधिक परन्तु 75 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 10 प्रतिशत
75 वर्ष से अधिक परन्तु 80 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 20 प्रतिशत
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 30 प्रतिशत
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 40 प्रतिशत
90 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या अधिक	मूल परिवार पेंशन का 100 प्रतिशत

पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि परिवार पेंशनर की जन्मतिथि तथा आयु सदैव पेंशन भुगतान आदेश पर दर्शाई जाए ताकि देय होने पर यथाशीघ्र अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने में पेंशन संवितरण प्राधिकारी सक्षम हो सके। अतिरिक्त पेंशन राशि सुस्पष्ट रूप से पेंशन भुगतान आदेश में दर्शाई जाएगी।

(2) **पूर्व पेंशनरों के लिए पेंशन संरचना.–** वह न्यायिक अधिकारी जो 1 जनवरी, 2016 के पूर्व मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं रहा है, 1 जनवरी, 2016 से नीचे विनिर्दिष्ट किए गए सन्नियमों (नार्म्स) पर निम्नलिखित पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त करेगा, अर्थात्:–

(एक) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के उन सेवानिवृत्त सदस्य की पुनरीक्षित पेंशन, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि उसने समय–समय पर यथा पुनरीक्षित अर्हकारी सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं, उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के पुनरीक्षित वेतन के न्यूनतम 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी:

परंतु ऐसे न्यायिक अधिकारी जो 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् और 1 जनवरी, 2006 के पूर्व मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं रहे है, उनकी पेंशन जो मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण नियम, 2010 के नियम 11 के उप–नियम (2) के खण्ड (एक) के अनुसार पुनरीक्षित की गई हो और ऐसे सेवावृत्त न्यायिक अधिकारी जिनकी पेंशन कर्नाटक मॉडल के अनुसार समेकित की गई है, वह 1 जनवरी, 2006 से 03.07 गुना बढ़ाकर पुनरीक्षित की जाएगी, जो कि उसकी सेवानिवृत्त के समय आहरित अंतिम वेतन के समतुल्य, पुनरीक्षित वेतनमान का 50% से कम नही होगी।

(दो) उन पारिवारिक पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि उसने समय–समय पर यथा पुनरीक्षित अर्हकारी सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं, सेवानिवृत्ति के समय न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के पुनरीक्षित वेतन के न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी:

परन्तु ऐसे न्यायिक अधिकारी जो 01 जनवरी, 1996 के पश्चात् तथा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे और जिनकी पेंशन जो मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 के नियम 11 के उप–नियम (2) के खण्ड (दो) के अनुसार पुनरीक्षित की गई है, तथा ऐसे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी जिनकी पेंशन कर्नाटक मॉडल के अनुरूप समेकित की गई थी, की परिवार पेंशनरों के संबंध में पूर्ण परिवार पेंशन जनवरी, 2006 से 03.07 गुना बढ़ाकर पुनरीक्षित की जाएगी, जो न्यायिक अधिकारी द्वारा उसके सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के वेतन के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी;

(3) पेंशनरों को मंहगाई राहत.– मंहगाई राहत उन दरों पर देय होगी, जो सेवारत् न्यायिक अधिकारियों को महगाई भत्ते के रूप में अनुज्ञेय है।

टिप्पणी : नियम 11 (2) तब तक आस्थगित रहेगा, जब तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय, उन न्यायिक अधिकारियों, जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व सेवा में नहीं रहे है, की पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में अंतिम निर्धारण नहीं कर देता।

12. नियमों का अध्यारोही प्रभाव.– उन मामलों में, जहां वेतन इन नियमों द्वारा विनियमित होता है, वहां मूल नियम (फण्डामेंटल रूल्स), मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 2003 और मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 तथा किन्हीं अन्य नियमों के उपबंध उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे नियमों से असंगत है।

13. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के कतिपय नियमों का लागू होना.– मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के नियम 5,6,7,10 तथा 11 न्यायिक सेवा को उस सीमा तक लागू होंगे जहां तक कि इन नियमों से असंगत न हों।

14. शिथिल करने की शक्ति.– राज्य सरकार, इन नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का प्रवर्तन, ऐसी रीति में और ऐसी सीमा तक शिथिल कर सकेगी या निलंबित कर सकेगी, जैसा कि लोकहित में न्यायसंगत और साम्यापूर्ण या आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत होता हो:

परन्तु ऐसा शिथिलकरण या निलंबन जो न्यायिक अधिकारी के लिए अलाभप्रद और माननीय उच्चतम न्यायालय के इस विषय में दिए गए निदेशों के प्रतिकूल हो, प्रवर्तित नहीं किया जाएगा।

15. निर्वचन.– यदि इन नियमों के निवर्चन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

विकल्प का प्ररूप
(नियम 6 देखिए)

मैं, ... एतद्द्वारा, पुनरीक्षित वेतनमान रूपये ..... का तारीख 1 जनवरी, 2006 से चयन करता हूं।

या

मैं, ... एतद्द्वारा, अपने मूल/स्थानापन्न पद ..... के विद्यमान वेतनमान रूपये ..... को,–

(क) मेरी आगामी वेतनवृद्धि की तारीख तक,

या

(ख) मेरा वेतन रूपये ..... तक बढ़ाने वाली पश्चात्वर्ती वेतनवृद्धि की ..... तारीख तक, या

(ग) मेरे द्वारा पद रिक्त किए जाने तक या विद्यमान वेतनमान रूपये ..... में वेतन आहरित करना बंद करने तक जारी रखने का चयन करता हूं।

स्थान .....
तारीख .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
पदनाम .....
कार्यालय जिसमें नियोजित है
(जो लागू न हो, उसे काट दे)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... (नाम) द्वारा प्रस्तुत किया गया विकल्प कार्यालय में तारीख ..... को प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर .....
नाम .....
पदनाम .....

अनुसूची

भाग–एक

(नियम 3 (घ) (ड)(ज) एवं नियम–4 तथा 7(1) देखिए)

अनुक्रमांक (1)		पदनाम (2)	वर्तमान वेतनमान (3)	पुनरीक्षित वेतनमान (4)	लेवल (5)
1	(एक)	सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)	27700-770-33090-920-40450-1080-44770	77840-136520	J-1
	(दो)	सिविल न्यायाधीश (ग्रेड–2) I एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (I ए.सी.पी.) ग्रेड (पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् नान फंक्शनल)	33090-920-40450-1080-45850	92960-136520	J-2
	(तीन)	सिविल न्यायाधीश (ग्रेड–1) I एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (ए.सी.पी.) ग्रेड (पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, नान फंक्शनल)	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010	111000-163030	J-3
2	(एक)	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, पदोन्नति ग्रेड)	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010	111000-163030	J-3
	(दो)	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (ग्रेड–2) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् I ए.सी.पी. ग्रेड)	43690-1080-49090-1230-56470	122700-180200	J-4
	(तीन)	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (ग्रेड–1) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् II ए.सी.पी. ग्रेड)	51550-1230-58930-1380-63070	144840-194660	J-5
3		जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)	51550-1230-58930-1380-63070	144840-194660	J-5
4		जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड वेतनमान में संवर्ग पदों का 25% उन व्यक्तियों को दिया जावेगा जिन्होंने संवर्ग में लगातार 5 वर्ष की सेवा की हो)	57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290	163030-219090	J-6
5		जिला न्यायाधीश (अतिकाल वेतनमान (सुपर टाईम स्केल) में संवर्ग पदों का 10% उन्हें दिया जावेगा जो चयनग्रेड जिला न्यायाधीश के रूप में कम–से–कम 3 वर्ष सेवा में रहे हों)	70290-1540-76450	199100-224100	J-7

टिप्पणी–1 ए.सी.पी. के तौर पर लाभ का दिया जाना स्वतः नहीं होगा बल्कि इस प्रयोजन के लिए गठित उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा उनके कार्य के सम्पादन के आंकलन पर होगा।

2 ऐसे मामले में जहां सिविल न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के संवर्ग में कोई अधिकारी जिसे ए.सी.पी. दिया गया है वरिष्ठता तथा योग्यता की अपनी बारी में उच्चतर संवर्ग में कृत्यिक पदोन्नति से इंकार करता है वह उसे मूलवेतन पर प्रतिवर्तित कर दिया जावेगा।

3 जिला न्यायाधीशों को चयनश्रेणी तथा अतिकाल वेतनमान (सुपर–टाईम–स्केल) योग्यता सह–वरिष्ठता के आधार पर दिया जाएगा।

अनुसूची

भाग–दो

[नियम 3 (घ), (ङ), (झ) एवं 4 तथा 7(1) देखिए]

अनुक्रमांक	व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) प्रवेश स्तर	व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) ए.सी.पी. प्रथम स्टेज	व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) ए.सी.पी. द्वितीय स्टेज / व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) प्रवेश स्तर	व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) ए.सी.पी. स्टेज	व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) ए.सी.पी द्वितीय स्टेज / जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर	जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी)	जिला न्यायाधीश (सुपर समय वेतनमान)
विद्यमान वेतनमान	27700-44770	33090-45850	39530-54010	43690-56470	51550-63070	57700-70290	70290-70450
विद्यमान प्रवेश वेतन	27700	33090	39530	43690	51550	57700	70290
स्तर	जे-1	जे -2	जे -3	जे -4	जे -5	जे -6	जे -7
वर्ष 1	77840	92960	111000	122700	144840	163030	199100
वर्ष 2	80180	95750	114330	126380	149190	167920	205070
वर्ष 3	82590	98620	117760	130170	153670	172960	211220
वर्ष 4	85070	101580	121290	134080	158280	178150	217560
वर्ष 5	87620	104630	124930	138100	163030	183490	224100
वर्ष 6	90250	107770	128680	142240	167920	188990	
वर्ष 7	92960	111000	132540	146510	172960	194660	
वर्ष 8	95750	114330	136520	150910	178150	200500	
वर्ष 9	98620	117760	140620	155440	183490	206510	
वर्ष 10	101580	121290	144840	160100	188990	212710	
वर्ष 11	104630	124930	149190	164900	194660	219090	
वर्ष 12	107770	128680	153670	169850			
वर्ष 13	111000	132540	158280	174950			
वर्ष 14	114330	136520	163030	180200			
वर्ष 15	117760						
वर्ष 16	121290						
वर्ष 17	124930						
वर्ष 18	128680						
वर्ष 19	132540						
वर्ष 20	136520						

भाग–तीन

(नियम 11 (1) (पांच) देखिए)

संगणित सारणी

1 रूपये प्रतिवर्ष की पेंशन के लिए संराशीकरण

आगामी जन्मदिवस की आयु	वर्षों की क्रम संख्या के अनुसार अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य	आगामी जन्मदिवस की आयु	वर्षों की क्रम संख्या के अनुसार अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
	रूपये पैसे		रूपये पैसे
20	9.188	51	8.808
21	9.187	52	8.768
22	9.186	53	8.724
23	9.185	54	8.678
24	9.184	55	8.627
25	9.183	56	8.572
26	9.182	57	8.512
27	9.180	58	8.446
28	9.178	59	8.371
29	9.176	60	8.287
30	9.173	61	8.194
31	9.169	62	8.093
32	9.164	63	7.982
33	9.159	64	7.862
34	9.152	65	7.731
35	9.145	66	7.591
36	9.136	67	7.413
37	9.126	68	7.262

38	9.116	69	7.083
39	9.103	70	6.897
40	9.090	71	6.703
41	9.075	72	6.502
42	9.059	73	6.296
43	9.040	74	6.085
44	9.019	75	5.872
45	8.996	76	5.657
46	8.971	77	5.443
47	8.943	78	5.229
48	8.913	79	4.018
49	8.881	80	4.812
50	8.846	81	4.611

आधार एल.आई.सी. (94–96) अल्टीमेट टेबिल्स तथा 8 प्रतिशत ब्याज।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

फा.क्रमांक 4973/21–ब(एक)/2023, यतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.(सी) 643/2015, ऑल इण्डिया जजेस एसोसिएशन विरूद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य, दिनांक 19.05.2023 में दिए गए निर्देशों के पालन में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाए (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 10 के उप–नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित नवीन उप–नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"(1क) **पेंशन के बकाया का भुगतानः–**

पेंशन के बकाया की गणना 01.01.2016 से की जाएगी और पूर्व मे अंतरिम राहत के किए गए भुगतान को समायोजित करने के पश्चात् शेष रकम निम्नलिखित रीति से चरणों में दी जाएगी:–

(1) पेंशन की पुनरीक्षित दरों जिनका कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमोदन किया है दिनांक 01.07.2023 से देय होगी।

(2) 25 प्रतिशत राशि का संदाय दिनांक 31.08.2023 तक देय होगा।

(3) अगली 25 प्रतिशत राशि का संदाय दिनांक 31.10.2023 तक देय होगा।

(4) शेष 50 प्रतिशत राशि का संदाय दिनांक 31.12.2023 तक देय होगा।

स्पष्टीकरणः– इस नियम के प्रयोजनों हेतु न्यायिक सेवा के किसी पेंशनर/परिवार पेंशनर के संबंध में पेंशन के बकाया से अभिप्रेत है, निम्नलिखित के बीच का अन्तर :–

(एक) पेंशन और महंगाई राहत का योग जो उसे इन नियमों के अधीन पेंशन और महंगाई राहत में पुनरीक्षण के कारण देय हो।

(दो) विद्यमान परिलब्धियां जिसका कि वह पात्र होता यदि उसकी पेंशन तथा महंगाई राहत इस प्रकार से पुनरीक्षित न किए जाते।"।

2. नियम 11 में,–

(क) उप–नियम (1) में,–

(एक) खण्ड (दो) में परन्तुक में तीसरी पंक्ति, में शब्द "के लिए तथा" शब्द "दस" के पूर्व शब्द "अधिकतम" जोड़ा जाए,

(दो) खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित नवीन खण्ड जोड़ा जावे:–

"(तीनक)सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति के दिनांक के पश्चात् जिस दिनांक को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होती है, वह वेतन वृद्धि सेवानिवृत्ति के समय काल्पनिक (नोशनल) रूप से जोड़कर अंतिम वेतन निर्धारित कर पेंशन निर्धारित की जाएगी।"।

(चार) खण्ड (दस) में, शब्द "लाख रूपये होगी" के पश्चात् व्याख्यांश "इसमें जब भी महगाई भत्ता (जैसा कि उप–नियम (3) में विहित है) पचास प्रतिशत से अधिक होता है पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी", जोड़ा जाए।

(ख) उप–नियम (2) में,–

(एक) खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए,–

"(एक) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के उन सेवानिवृत्त सदस्य की पुनरीक्षित पेंशन, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि उसने समय–समय पर यथा पुनरीक्षित अर्हकारी सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं, उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान की न्यूनतम 50 प्रतिशत होगी

परन्तु ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं रहे है उनकी पेंशन, पेंशन पुनरीक्षिण के लिए वर्तमान मूल पेंशन में 2.81 गुणा बढ़ाकर पुनरीक्षित की जाएगी, जो कि उसकी सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के वेतन के 50 प्रतिशत से कम नही होगी।

(दो) खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए,–

"(दो) उन पारिवारिक पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि उसने समय–समय पर यथा पुनरीक्षित अर्हकारी सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं, सेवानिवृत्ति के समय न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान की न्यूनतम 30 प्रतिशत होगी:

परन्तु ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं रहे है उनकी पारिवारिक पेंशन, पेंशन पुनरीक्षण के लिए वर्तमान मूल पेंशन में 2.81 गुणा बढ़ाकर पुनरीक्षित की जाएगी, जो कि उसकी सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के वेतन के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(ग) उप–नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप–नियम जोडा जाए,–

"(4) केन्द्रीय सरकार के पेंशन नियम 54 (3) यथा संशोधित दिनांक 19.09.2021 का लाभ परिवार पेंशनरों को भी प्राप्त होगा।"।

(घ) उप–नियम (3) के पश्चात् टिप्पणी का लोप किया जाए।

2. अनुसूची में भाग तीन के पश्चात् निम्नलिखित भाग जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"भाग–चार
(नियम 11 उप–नियम (2))

(फिटमेन्ट)

अनुक्रमांक	एफ.एन.जे.पी.सी. के अनुसार वेतन	विद्यमान वेतन	नया प्रस्तावित वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	9000	27700	77840
2	9250	28470	80180
3	9500	29240	82590
4	9750	30010	85070
5	10000	30780	87620
6	10250	31550	90250
7	10500	32320	92960
8	10750	33090	95750
9	11050	34010	95750
10	11350	34930	98620
11	11650	35850	101580
12	11950	36770	104630
13	12250	37690	107770
14	12500	38610	111000
15	12800	39530	114330
16	13150	40450	114330
17	13500	41530	117760
18	13850	42610	121290
19	14200	43690	124930
20	14550	44770	128680
21	14900	45850	132540
22	15250	46930	132540
23	15600	48010	136520
24	15950	49090	140620
25	16350	50320	144840
26	16750	51550	149190
27	17150	52780	149190
28	17550	54010	153670
29	17950	55240	158280
30	18350	56470	163030
31	18750	57700	163030
32	19150	58930	167920
33	19600	60310	172960

(1)	(2)	(3)	(4)
34	20050	61690	178150
35	20500	63070	178150
36	20950	64450	183490
37	21400	65830	188990
38	21850	67210	188990
39	22350	68750	194660
40	22850	70290	199100
41	23350	71830	205070
42	23850	73370	211220
43	24350	74910	217560
44	24850	76450	224100*

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव

Bhopal, Date 6th October 2023

F.NO 4973/XXI-B(One)/2023 – Whereas, in compliance of directions made by Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 643/15, All India Judges Association Vs. Union of India and Others, order dated 19-05-2023 and in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Judicial Services (Revision of Pay, Pension and Other Recruitment Benefits) Rules, 2022, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. After sub-rule (1) of rule 10 following sub-rule shall be added, namely:-

"(1A) Payment of Pension Arrears:-

Commutation of Pension Arrears shall be done from 01.01.2016 and after adjusting interim relief paid earlier, remaining amount shall be given in following steps:-

(1) Revised rates of Pension which have been approved by Honorable Supreme Court shall be paid from 01.07.2023.

(2) 25% of the amount shall be paid by 31.08.2023.

(3) 25% of the amount shall be paid by 31.10.2023.

(4) Remaining 50% of the amount shall be paid by 31.012.2023.

Explation:- For the purpose of this rule pension arrears for any pensioner/family pensioner means difference of.-

(i) sum total of pension and dearness relief which is to be paid to him under these rules due to revision of pension and dearness relief;

(ii) existing emoluments for which he would have been entitled if his pension and dearness relief were not revised.

2. In rule 11,-

(a) in sub-rule (1),-

(i) in clause (ii), in proviso, in line 3, after word "benefits" and before the word "ten", the word "maximum" shall be added;

(ii) after clause (iii) following new clause shall be added;

"(iiia) after the date of retirement of retiring Judge, the date, on which the annual increment becomes due, by adding that increment notionally at the time of retirement by the fixing the last pay the pension shall be fixed.

(iv) in clause (x), after word "lakh" the phrase "which shall be increased by twenty five percent whenever DA [as provided in sub-rule (3)] rises by fifty percent" shall be added;

(b) in sub-rule (2),-

(i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

(i) The revised pension of the retried Judicial Officers shall be 50% of the minimum of the revised pay of the post held by the Judicial Officer at the time of retirement, irrespective of the fact whether he has completed qualifying service or not, as revised from time to time :

Provided that the Judicial Officers who have ceased to be in service due to death or retirement befor 01.01.2016 their Pension shall be revised by raising the same by 2.81 times which shall not be less than 50% of the revised pay of revised pay scale equivalent to the last pay drawn at the time of his retirement.

(ii) for clause (ii) following clause shall be substituted, namely:-

(ii) The revised pension of the family pensioners shall be 30% of the minimum of the revised pay of the post held by the Judicial Officer at the time of retirement, irrespective of the fact whether he has completed qualifying service or not, as revised from time to time:

Provided that the Judicial Officers who have ceased to be in service due to death or retirement befor 01.01.2016 their Family Pension shall be revised by 2.81 times raising the same by which shall not be less than 30% of the revised pay of revised pay scale equivalent to the last pay drawn at the time of his retirement.

(c) after sub-rule (3) following sub-rule shall be added.

"(4) benefits of Central Government Pension rules 54(3) dated 19.09.2021 (as amended) shall also be available to family pensioners.".

(d) after sub-rule (3), note shall be omitted.

2. In the Schedule, after Part-III, the following Part shall be added, namely :-

"Part-IV

[see rule 11, sub-rule (2)]

(Fitment)

S.No.	Pay as per FNJPC	Existing Pay	New Proposed Pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1	9000	27700	77840
2	9250	28470	80180
3	9500	29240	82590
4	9750	30010	85070
5	10000	30780	87620
6	10250	31550	90250
7	10500	32320	92960
8	10750	33090	95750
9	11050	34010	95750
10	11350	34930	98620
11	11650	35850	101580
12	11950	36770	104630
13	12250	37690	107770
14	12500	38610	111000
15	12800	39530	114330
16	13150	40450	114330
17	13500	41530	117760
18	13850	42610	121290
19	14200	43690	124930
20	14550	44770	128680
21	14900	45850	132540
22	15250	46930	132540
23	15600	48010	136520
24	15950	49090	140620
25	16350	50320	144840
26	16750	51550	149190
27	17150	52780	149190
28	17550	54010	153670
29	17950	55240	158280
30	18350	56470	163030
31	18750	57700	163030
32	19150	58930	167920
33	19600	60310	172960
34	20050	61690	178150

(1)	(2)	(3)	(4)
35	20500	63070	178150
36	20950	64450	183490
37	21400	65830	188990
38	21850	67210	188990
39	22350	68750	194660
40	22850	70290	199100
41	23350	71830	205070
42	23850	73370	211220
43	24350	74910	217560
44	24850	76450	224100"

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. DWIVEDI, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2023

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 2251/2024/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 10/06/2024

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के समान महगांई राहत का भुगतान किये जाने के संबंध में।

केन्द्र सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन क्रमांक 42/04/2023-P&PW(D) दिनांक 27/10/2023 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से केन्द्र के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को उनके पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 42/04/2023-P&PW(D) दिनांक 06/04/2023 के अनुक्रम में दिनांक 01/07/2023 से 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम–11(3) के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 27/10/2023 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम–11(3) अनुसार दिनांक 01/07/2023 से पेंशन पर राहत 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(धर्मपाल सिंह सिवाच)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. फा.क्रमांक 2251/21–ब(एक)/2024 भोपाल, दिनांक 10/06/2024

प्रतिलिपि–

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवालय, भोपाल,
19. अतिरिक्त सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल,
25. सभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
26. सभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
27. रागस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
28. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन-452010,
29. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
31. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
32. इलाहबाद बैंक ऑफिस कॉम्पलैक्स गौतम नगर भोपाल
33. बैंक ऑफ बाडोदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्पलैक्स एम.पी नगर भोपाल
34. बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
35. यूनाईटिड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
36. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल

निरंतर 3 पर

37. पंजाब नैशनल बैंक ऑफ एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल
38. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स, भोपाल
39. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
40. प्रशासकीय अधिकारी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
41. प्रधान महालेखाकार, अन्य राज्य__________
42. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Yadav 10/06/24
(निलेश यादव)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

No. 42/04/2023-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Date:- 27th October, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.07.2023.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/04/2023-P&PW(D) dated 06.04.2023 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of **42% to 46%** of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) **w.e.f 01st July,2023**.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

(i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
(ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
(iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.
(iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.
(v) Pensioners who are in receipt of provisional pension.
(vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

5. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

6. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

7. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

8. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

9. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/4/2023-E.II(B) dated 20.10.2023

Hindi version will follow.

27-10-2023

(Sanjiv Narain Mathur)
Additional Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

84970

34

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 2250/2024/21–ब(एक). भोपाल, दिनांक 10/06/2024
11

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, 001040
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– **मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के समान महंगाई राहत का भुगतान किये जाने के संबंध में।**

केन्द्र सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन क्रमांक 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 13/03/2024 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को उनके पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 42/04/2023-P&PW(D) दिनांक 27/10/2023 के अनुक्रम में दिनांक 01/01/2024 से 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम–11(3) के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू होंगी।

PA

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 13/03/2024 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम–11(3) अनुसार दिनांक 01/01/2024 से पेंशन पर राहत 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

H-239
25.6.24

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

Sh. Anand
24/6/24

(धर्मपाल सिंह सिवाच)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

निस्तर 2 पर

पृ. फा.क्रमांक 2250/2024/21–ब(एक). भोपाल, दिनांक 10/06/2024

प्रतिलिपि:–

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवाल, भोपाल,
19. अतिरिक्त सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल,
25. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
26. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
27. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
28. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन–452010,
29. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
31. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
32. इलाहबाद बैंक ऑफिस कॉम्पलैक्स गौतम नगर भोपाल
33. बैंक ऑफ बाडोदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्पलैक्स एम.पी नगर भोपाल
34. बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
35. यूनाईटिड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
36. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल

निरतर 3 पर.

37. पंजाब नैशनल बैंक ऑफ एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल
38. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स, भोपाल
39. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
40. प्रशासकीय अधिकारी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
41. प्रधान महालेखाकार, अन्य राज्य ________
42. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(निलेश यादव)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

No. 42/02/2024-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare
****

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Date :- 13th March, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.01.2024-reg

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/04/2023-P&PW(D) dated 27.10.2023 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of **46% to 50%** of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) **w.e.f 01st January,2024**.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

(i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.

(ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.

(iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.

(iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.

(v) Pensioners who are in receipt of provisional pension.

(vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. The payment of arrears of Dearness Relief shall not be made before the date of disbursement of pension/family pension of March, 2024.

5. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

Contd/....

6. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

7. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

8. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

9. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

10. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/1/2024-E-II (B) dated 12.03.2024.

Hindi version will follow.

(Ravinder Kumar) 13/3/24
Director

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.